न्यायालय उपखण्ड अधिकारी मण्डावर,जिला–दौसा

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्सजंज	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए
	कानसिंह .... बनाम .... रामप्रसाद मु.नं.– 118/21 किस्म – T-E	
	5/5/25 मत्रालयिक कर्मचारी सामूहिक अवकाश पर होने के कारण न्यायिक कार्य नहीं हो सका। पत्रावली पूर्वानुसार दिनांक 6/5/25 को पेश हो। उपखण्ड अधिकारी मंडावर (दौसा)	
	6/5/25 पत्रावली पेश हुई। वकील उभय पक्ष उपस्थित। पत्रावली वास्ते ~~बहस~~ बहस प्रा.पत्र T.E दिनांक 10.6.25 को पेश हो। उपखण्ड अधिकारी मंडावर (दौसा)	
	10.6.25 पत्रावली पेश हुई। वकील प्रार्थी उपस्थित। प्रा.पत्र T.E पर वकील प्रार्थी की बहस सुनी गई। पत्रावली वास्ते आदेश प्रा.पत्र T.E दिनांक 03.7.25 को पेश हो। उपखण्ड अधिकारी मंडावर (दौसा)	
	03.7.25 पत्रावली पेश हुई। वकील उभय पक्ष उपस्थित। पीठासीन अधिकारी अन्य राज्य कार्य में व्यस्त होने से आदेश प्रा.पत्र T.E. लिखवाया नहीं जा सका। पत्रावली पूर्वानुसार वास्ते आदेश प्रा.पत्र T.E. दिनांक 31.7.25 को पेश हो।	
	31.7.25 पत्रावली पेश हुई। वकील उभय पक्ष उपस्थित। प्रार्थी उपस्थित। प्रार्थीगण का प्रा.पत्र अन्तर्गत धारा 212 काश्तकारी अधिनियम 1955	

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी मण्डावर,जिला–दौसा

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्सजज कानाचेंद बनाम रामप्रसाद मु.नं.– 118/21 किस्म – T-B.	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए
	स्वीकार किया जाकर विस्तृत निर्णय पृथक से लिखवाया जाकर शामिल पत्रावली किया गया। पत्रावली फैसल शुमार होकर दाखिल दफ्तर हो। [illegible] वाद के साथ नत्थी हो।	

राजस्व न्यायालय उपखण्ड अधिकारी मण्डावर जिला दौसा

पीठासीन अधिकारी : अमित कुमार वर्मा (आर.ए.एस.)

मुकदमा संख्या	तारीख रजू	तारीख निर्णय
118/2021	29.09.2021	31.07.2025

बउनवान

1. कानसिंह पुत्र स्व. मानसिंह, निवासी नांगल सुमेरसिंह, तहसील मण्डावर, दौसा।
2. रणवीर सिंह पुत्र स्व. मानसिंह, निवासी नांगल सुमेरसिंह, तहसील मण्डावर, दौसा।
3. प्रताप सिंह पुत्र स्व. मानसिंह, निवासी नांगल सुमेरसिंह, तहसील मण्डावर, दौसा।

..प्रार्थीगण

बनाम

1. रामप्रसाद पुत्र चंदर मीना, निवासी नांगलसुमेरसिंह, तहसील मण्डावर, दौसा।
2. लालाराम पुत्र रामसहाय, निवासी नांगलसुमेरसिंह, तहसील मण्डावर, दौसा।
3. रामेश्वर पुत्र मन्नू मीना, निवासी नांगलसुमेरसिंह, तहसील मण्डावर, दौसा।
4. सुरेशचन्द पुत्र मन्नू मीना, निवासी नांगलसुमेरसिंह, तहसील मण्डावर, दौसा।
5. मुकेश मीना पुत्र मन्नू मीना, निवासी नांगलसुमेरसिंह, तहसील मण्डावर, दौसा।
6. सुभाष पुत्र रामेश्वर, निवासी नांगलसुमेरसिंह, तहसील मण्डावर, दौसा।
7. अंकित पुत्र मुकेश मीना, निवासी नांगलसुमेरसिंह, तहसील मण्डावर, दौसा।
8. कस्तूरी पत्नी रामसहाय, निवासी नांगलसुमेरसिंह, तहसील मण्डावर, दौसा।
9. जगदीश पुत्र रामसहाय, निवासी नांगलसुमेरसिंह, तहसील मण्डावर, दौसा।
10. रामजीलाल पुत्र कंचन, निवासी नांगलसुमेरसिंह, तहसील मण्डावर, दौसा।

..अप्रार्थीगण

उपस्थित

1. अभिभाषक प्रार्थीगण – श्री मुकेश सिंह।
2. अभिभाषक अप्रार्थीगण – श्री हरीसिंह मीना।

प्रार्थना पत्र बाबत अस्थाई निषेधाज्ञा अन्तर्गत धारा 212
राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955

निर्णय

1. प्रार्थीगण की ओर से प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 212 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 प्रस्तुत किया गया कि प्रार्थीगण की भूमि विवादित आराजी खसरा सं. 477, रकबा 0.31 हैक्टे., ग्राम नांगल सुमेरसिंह, तहसील मण्डावर, जिला दौसा में स्थित है जिसके प्रार्थीगण एकमात्र खातेदार काश्तकार व्यक्ति है। विवादित आराजी में प्रार्थीगण ही हमेशा से काश्त करते चले आ रहे है। प्रार्थीगण को उक्त भूमि विरासत से मिली है जबकि अप्रार्थीगण का उक्त आराजी भूमि से किसी प्रकार का कोई सरोकार व वास्ता नहीं है। अप्रार्थीगण के खेत, वादीगण के उक्त खेत के पास में स्थित है जिससे अप्रार्थीगण जब भी अपने खेती की जोत लगाते हैं, तब प्रार्थीगण के खेत की डोल मेड को जोत देते है एवं नई डोल वादी के खेत में होकर बनाते है। इसी प्रकार पिछले कई वर्षों से अप्रार्थीगण डोल मेड को जोतते आ रहे है

उपखण्ड अधिकारी
मण्डावर (दौसा)

एवं प्रार्थीगण के खेत में नई मेड बनाते चले आ रहे है जिससे प्रार्थीगण की काफी जमीन अप्रार्थीगण ने अपनी तरफ मिला ली थी। अबकी बार खरीफ फसल बोने का समय आया तो अप्रार्थीगण ने हमेशा की तरह खेत खसरा सं. 477 की डोल मेड को जोत दिया। तब प्रार्थीगण वहां आ गए एवं डोल मेड को जोतने से मना किया तो अप्रार्थीगण एकदम से उत्तेजित हो गए एवं प्रार्थीगण से झगड़ा करने पर आमादा हो गए। तब सभी गांव वालो के समझाने पर अप्रार्थीगण खेत खसरा सं. 477 का सीमाज्ञान कराने पर सहमत हो गए। इस पर दिनांक 22.07.2020 को तहसीलदार मण्डावर के आदेश से राजस्व कर्मचारियों की टीम में नायब तहसीलदार, गिरदावर एवं दो पटवारी की टीम गठित कर खेत खसरा सं. 477 का सीमाज्ञान कराया गया एवं खेत की सीमा पर निशान लगाये गये जिसमें काफी जमीन वादीगण के खेत की निकली थी जिस पर उसी समय वादीगण ने निशान लगाने की जगह से ही मेड करा दी एवं अपने खेत में बाजरा की फसल बो दी है लेकिन अप्रार्थीगण उस वक्त तो सभी व्यक्तियों के सामने मान गए लेकिन दो दिन बाद ही अप्रार्थीगण ने पुनः प्रार्थीगण से झगड़ना शुरू कर दिया एवं आये दिन सीमाज्ञान के बाद हुई डोल मेड को दुबारा से काटना प्रारम्भ कर दिया है। दिनांक 24.07.2020 को प्रार्थीगण अपने द्वारा बोये गए बाजरे की फसल की नडाई कर रहे थे कि सभी अप्रार्थीगण अपने हाथों में लाठी फरसा आदि हथियार लेकर आ गए। प्रार्थीगण से जबरन झगड़ा करने लगे एवं अप्रार्थीगण ने ऐलानिया कहा कि हम किसी खेत की नाप को नहीं मानते है। हम तो हमारे मन में होगी, जहां से डोल मेड करेंगे। प्रार्थीगण ने मना किया लेकिन वो लोग नहीं माने। तब वहां उपस्थित लोगो के समझाने पर झगड़ा तो नहीं हुआ लेकिन सभी अप्रार्थीगण ने ऐलानिया धमकी देकर कहा है कि हमारे लठ्ठ में ताकत है, जब भी मन करेगा, हम इस पूरे खेत को ही जोत देंगे। इस प्रकार की ऐलानिया धमकी देने से वादीगण को गहरा सदमा लगा है एवं अप्रार्थीगण की उक्त धमकी को देखते हुए अप्रार्थीगण के विरुद्ध यह दावा बाबत स्थाई निषेधाज्ञा का पेश किया जाना आवश्यक हुआ है। उक्त धमकी को देखते हुए अपार्थीगण के विरुद्ध यह प्रार्थना पत्र अस्थाई निषेधाजा वाद पत्र के साथ में पेश किया जाना आवश्यक हुआ है। उक्त प्रकरण में यदि अप्रार्थीगण को पाबन्द नहीं किया तो प्रार्थीगण को अपूरणीय क्षति होगी जिसकी पूर्ति किसी भी प्रकार सम्भव नहीं है एवं पाबन्द करने से अप्रार्थीगण को किसी भी प्रकार की क्षति होने की संभावना नहीं है। प्रार्थीगण का प्रथम दृष्टया मामला पूरी तरह से साबित है एवं अपूरणीय क्षति एवं सुविधा का संतुलन भी प्रार्थीगण के पक्ष में है। अतः निवेदन है कि प्रार्थना पत्र स्वीकार कर अप्रार्थीगण को इस प्रकार अस्थाई निषेधाज्ञा से पाबंद फरमाया जावे कि वो ता दावा फैसला उक्त विवादित आराजी में प्रार्थीगण के कब्जे काश्त करने में, खेत में फसल काश्त करने में, एवं प्रार्थी गण के उक्त खेत के उपयोग उपभोग करने में अप्रार्थी गण किसी प्रकार कि रुकावट, मजाहमत, मदाखलत पैदा ना तो स्वयं करे एवं ना ही किसी अन्य से करावे एवं उक्त खेत के सीमाज्ञान के चिन्हों को ना मिटाए वर्तमान में मोके कि स्थिति यथावत बनाये रखे।

2. प्रार्थना पत्र दर्ज रजिस्टर किया जाकर अप्रार्थीगण को जरिये नोटिस तलब किया गया। दिनांक 11.09.2020 को अभिभाषक प्रार्थीगण ने जाहिर किया कि प्रकरण अर्जेण्ट नेचर का है, अप्रार्थीगण वादग्रस्त भूमि के मौके की स्थिति को बदलने पर उतारू है। प्रार्थीगण

उपखण्ड अधिकारी
मण्डावर (दौसा)

अभिभाषक की एकपक्षीय बहस सुनी गई। दिनांक 11.09.2020 को अप्रार्थीगण के विरूद्ध इस आशय की अन्तरिम अस्थाई निषेधाज्ञा जारी की गयी कि अप्रार्थीगण आगामी दिनांक तक ग्राम नांगल सुमेरसिंह, तहसील मण्डावर, जिला दौसा में स्थित विवादित आराजी खसरा सं. 477 में सायल के कब्जे काश्त में मदाखलत, मजाहमत पैदा नहीं करें व मौके की यथास्थिति बनाये रखेंगे।

3. अप्रार्थीगण की ओर से न्यायालय में जवाब प्रस्तुत कर प्रार्थना पत्र के अधिकांश तथ्यों को अस्वीकार करते हुए निवेदन किया कि प्रार्थी का खेत खसरा सं. 477 रकबा 0.31 हैक्टे. के बजाय लगभग 0.45 हैक्टे. है। अप्रार्थीगण का खेत खसरा सं. 455 रकबा 0.23 हैक्टे. प्रार्थीगण की उक्त भूमि के सटवा है जिसकी पैमाईश पटवारी ने की तो मौके पर अप्रार्थीगण का उक्त खसरा सं. 0.23 हैक्टे. भूमि के बजाय मात्र 0.16 हैक्टे. ही भूमि निकली। पटवारी हल्का ने अप्रार्थीगण से कहा कि आपकी भूमि रोड के सटवा तक निकलती है, इस प्रकार से प्रार्थीगण द्वारा मौके पर उक्त खसरा सं. 477 रकबा 0.31 हैक्टे. के बजाय अधिक भूमि पर कब्जा करना चाहते हैं। प्रार्थीगण की जमीन एवं अप्रार्थीगण की जमीन के मध्य में होकर सडक निकल रही है, इसलिए अप्रार्थीगण अपनी जमीन पर काविज काश्त है। किसी भी प्रकार की नई डोल–मेड नहीं बनायी है। अप्रार्थीगण ने प्रार्थीगण की भूमि की डोल–मेड को कभी भी नहीं तोडा और ना ही जोता है बल्कि खसरा सं. 477 का रकबा 0.31 हैक्टे. है जो मौके पर पूर्ण है। पटवारी, तहसीलदार ने मौके पर नाप तौल की तो अप्रार्थीगण का खेत ख.स. 455 व 456 की भूमि कम पड गई थी, प्रार्थीगण की भूमि लगभग 0.15 हैक्टे. भूमि ज्यादा निकलती है। अप्रार्थीगण ने किसी प्रकार का कोई झगडा नहीं किया और ना ही डोल–मेड को तोडा है। खसरा सं. 455 रकबा 0.23 हैक्टे. के सटवा भूमि खसरा सं. 477 रकबा 0.31 हैक्टे. भूमि है जो प्रार्थीगण की खातेदारी भूमि है। प्रार्थीगण ने कब्जा करने की नीयत से दिनांक 17.07.2020 को ट्रैक्टर से जोत निकालने की कोशिश की जिस पर अप्रार्थी रामेश्वर ने पुलिस थाना मण्डावर पर प्रार्थीगण के विरूद्ध शिकायत की। तब प्रार्थीगण ने अप्रार्थीगण से अपनी भूमि की पैमाइश कराने की बात कही जिस पर दिनाँक 22.07.2020 को मौके पर आनन–फानन में नायब तहसीलदार मण्डावर, गिरदावर व पटवारी को स्वंय की भूमि खसरा सं. 477 की पैमाईश कराने के लिए लेकर आये। अप्रार्थीगण को पता चला तो मोके पर पहुँचे तथा पैमाईश के उपरान्त पता चला कि प्रार्थीगण का उक्त खसरा सं. 477 रकबा 0.31 हैक्टे. के बजाय लगभग मौके पर 0.45 हैक्टे. भूमि है तथा अप्रार्थीगण का खसरा सं. 455 की पैमाईश पटवारी ने की तो मौके पर 0.23 हैक्टे. भूमि के बजाय मात्र 0.16 हैक्टे. ही भूमि निकली। प्रार्थीगण द्वारा अप्रार्थीगण के खिलाफ झूठे तथ्यों के आधार पर प्रार्थना पत्र पेश किया है जो खारिज होने योग्य है। अतः जवाब प्रार्थना पत्र पेश कर निवेदन है कि प्रार्थीगण का प्रार्थना पत्र खारिज करें।

4. अभिभाषक प्रार्थीगण की बहस सुनी गई। अभिभाषक प्रार्थीगण ने प्रार्थना पत्र में वर्णित तथ्यों को दोहराया तथा तदनुसार प्रार्थना पत्र को निर्णीत किये जाने का निवेदन किया। पत्रावली का, एवं प्रस्तुत खाता की नकल जमाबंदी एवं पत्रावली पर उपलब्ध अन्य दस्तावेजों का अवलोकन किया गया तथा अभिभाषक प्रार्थीगण व अप्रार्थीगण की बहस पर

उपखण्ड अधिकारी
मण्डावर (दौसा)

मनन किया। अस्थायी व्यादेश जारी किये जाने बाबत राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 की धारा 212 में प्रावधान है कि :

212. व्यादेश के लिए और रिसीवर की नियुक्ति के लिए उपबंध – इस अधिनियम के अधीन किसी वाद या कार्यवाही में यदि शपथ–पत्र द्वारा अथवा अन्यथा यह सिद्ध हो जाये कि –

(क) किसी सम्पत्ति का, जिससे ऐसा वाद वा कार्यवाही संबंधित है, उसके किसी पक्षकार द्वारा दुर्व्ययन करने, उसे नुकसान पहुंचाने या अन्य संक्रान्त किये जाने का खतरा है, या

(ख) ऐसे वाद या कार्यवाही का कोई पक्षकार, न्याय के उद्देश्यों को विफल करने के अनुक्रम में उक्त सम्पत्ति को हटाने अथवा व्ययन करने की धमकी देता है या ऐसा आशय रखता है।

तो न्यायालय अस्थायी व्यादेश कर सकेगा और, यदि आवश्यक हो तो, रिसीवर नियुक्त कर सकेगा।

(2) कोई व्यक्ति, जिसके विरुद्ध उपधारा (1) के अधीन व्यादेश किया गया है अथवा जिसकी सम्पत्ति के बारे में रिसीवर नियुक्त किया गया है इतनी रकम की नकद प्रतिभूति दे सकता है जितनी, वाद या कार्यवाही ऐसे व्यक्तियों के विरुद्ध विनिश्चित होने की दशा में विरोधी पक्षकार को मुआवजा देने के लिए न्यायालय अवधारित करे, और ऐसी प्रतिभूति की रकम जमा किये जाने पर न्यायालय, यथास्थिति, व्यादेश या रिसीवर की नियुक्ति के आदेश को प्रत्याहृत कर सकेगा।

5. प्रार्थना पत्र को निर्णीत किये जाने के लिए प्रथम दृष्टया मामला, सुविधा का संतुलन तथा अपूरणीय क्षति के बिन्दुओं को तय किया जाना है। इस प्रार्थना पत्र से सम्बद्ध वाद पत्र स्थायी निषेधाज्ञा के लिए प्रस्तुत किया गया है। जमाबन्दी सम्वत् 2074–2077 के अनुसार, विवादित आराजी के प्रार्थीगण रिकॉर्डेड खातेदार है। इस कारण प्रथम दृष्टया मामला प्रार्थीगण के पक्ष में है। इस प्रार्थना पत्र से सम्बद्ध वाद पत्र स्थायी निषेधाज्ञा के लिए प्रस्तुत किया गया है। वाद पत्र के लम्बित रहने की अवधि के दौरान, यदि अप्रार्थीगण के द्वारा विवादित आराजी में प्रार्थीगण के कब्ज़ा काश्त में डोल–मेड तोड़ी जाती है तथा प्रार्थी के हिस्से की भूमि पर अप्रार्थीगण के द्वारा कब्ज़ा किया जाता है तो प्रार्थीगण को अपने खातेदारी अधिकारों के उपयोग–उपभोग में भारी असुविधा होगी। इससे वाद बहुलता में व मौके पर विवाद में बढ़ोत्तरी होगी। आराजीयात के मौके की वर्तमान स्थिति में यदि अप्रार्थीगण के द्वारा किसी प्रकार से बदलाव किया जाता है तो प्रार्थीगण को अपूरणीय क्षति होगी।

6. उक्त विवेचन से स्पष्ट है कि प्रथम दृष्टया मामला, सुविधा का सन्तुलन तथा अपूरणीय क्षति का सिद्धान्त प्रार्थीगण के पक्ष में है। इसलिए सम्बद्ध वाद लम्बित रहने की अवधि तक विवादित आराजीयात को अप्रार्थीगण द्वारा दुर्व्ययन करने से, नुकसान पहुंचाने से, वाद बहुलता तथा मौके पर विवाद रोकने के लिए अप्रार्थीगण के विरुद्ध अस्थायी व्यादेश जारी किया जाना उचित है।

आदेश

7. प्रार्थीगण का प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 212 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 स्वीकार किया जाकर ग्राम हिंगोटा, पटवार हल्का नांगल सुमेरसिंह, तहसील मण्डावर जिला दौसा में स्थित विवादित आराजी खसरा सं. 477 रकबा 0.31 हैक्टे. के सम्बन्ध में इस

उपखण्ड अधिकारी
मण्डावर (दौसा)

न्यायालय द्वारा जारी अंतरिम अस्थायी निषेधाज्ञा दिनांक 11.09.2020 को, प्रार्थना पत्र से सम्बद्ध मूल वाद के निर्णित होने तक, संपुष्ट (Confirm) किया जाता है तथा अप्रार्थीगण के विरुद्ध अस्थायी व्यादेश इस आशय का जारी किया जाता है कि अप्रार्थीगण विवादित आराजी 477 में प्रार्थीगण के कब्जे काश्त में मदाखलत, मजाहमत पैदा नहीं करें व मौके की यथास्थिति बनाये रखें। पत्रावली फैसल शुमार होकर मूल वाद के साथ नत्थी हो।

(अमित कुमार वर्मा) R.A.S.
उपखण्ड अधिकारी
मण्डावर (दौसा)

8. निर्णय लिखाया जाकर दिनांक 31.07.2025 को सरे इजलास सुनाया गया।

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी मण्डावर (दौसा)

(अमित कुमार वर्मा) R.A.S.
उपखण्ड अधिकारी
मण्डावर (दौसा)